संख्या-7/2022/807/63-व0उ0-2022-104(एच)/2018

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 01 अगस्त, 2022**

विषयः- पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत द्वितीय त्रैमास की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति की मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 करोड़ (रूपया दो अरब पचास करोड़ मात्र) मे से लेखानुदान अवधि की आगणित धनराशि रू0 83.33 करोड़ (रू0 तिरासी करोड़, तैतीस लाख) की वित्तीय स्वीकृति शासन के पत्र संख्या-551/63-व0उ0-2022-104(एच)/2018 दिनांक 07.06.2022 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग के परामर्शानुसार पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत धनराशि को वित्तीय वर्ष के 04 त्रैमासों में निर्गत किया जाता है।

3- उक्तानुसार निर्गत रू0 83.33 करोड़ (रू0 तिरासी करोड़, तैतीस लाख) मे प्रथम किस्त के अनुसार रू0 20.83 करोड़ अधिक निर्गत किया गया है, जो कि लेखानुदान के अन्तर्गत निर्गत किया जाना आवश्यक था।

4- अतः द्वितीय त्रैमास की धनराशि रू0 62.50 करोड़ (रू0 बासठ करोड़, पचास लाख मात्र) से प्रथम त्रैमास हेतु निर्गत धनराशि रू0 20.83 करोड़ को घटाते हुए योजनान्तर्गत धनराशि रू0 41.67 करोड़ (रू0 इक्तालिस करोड़, सढ़सठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

5- उक्त प्रस्तर-4 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपभोग शासनादेश संख्या-1403/63-व0उ0-2019-60(एच)/2016टी0सी0-।। दिनांक 04.12.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके 01 माह में शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ का होगा।

6- प्रस्तर-4 में स्वीकृत धनराशि रू0 41.67 करोड़ (रू0 इक्तालिस करोड़, सढ़सठ लाख मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अधीन लेखाशीर्षक-''2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-108-बिजली करघा उद्योग-04-पावरलूम बुनकरांे को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-27-सब्सिडी' के नामें डाला जायेगा।

7- उक्त धनराशि व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस- 2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2022/807 (1)/63-व0उ0-2022 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in